मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
''निर्वाचन भवन''
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011

क्रमांक एफ–58–01 / 2009 / तीन / 1267 भोपाल, दिनांक 17/11/2009

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल ।

विषय :–नगरीय निकायों के आम निर्वाचन – 2009 हेतु शासकीय कर्मचारियों को मतदान का प्रयोग करने के लिये मतदान के दिन स्थानीय अवकाश एवं सुविधा प्रदान करने के संबंध में।

–0–

प्रदेश की नगरीय निकायों **अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों (परिशिष्ट–एक)** में अंकित नगरीय निकायों के आम निर्वाचन–2009 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम आयोग द्वारा दिनांक 10 / 11 / 2009 को जारी किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है । निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकाय में मतदान दो चरणों में अर्थात् दिनांक 11 / 12 / 2009 एवं दिनांक 14 / 12 / 2009 को मतदान होगा। अतः आयोग द्वारा जारी स्थाई निर्देशों के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाएः–

(1) नगरीय निकायों **अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों (परिशिष्ट–एक)** में अंकित नगरीय निकायों के आम निर्वाचन–2009 हेतु नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करने वाले शासकीय / अर्द्व शासकीय / शासकीय निगमों के कर्मचारियों / अधिकारियों को मतदान के दिन जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में एक दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाएँ ।

2 /– अतएव अनुरोध है कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें । कृपया जारी किये गये निर्देश की प्रति आयोग को भी भेजने का कष्ट करें ।
संलग्न – उपरोक्तानुसार

(अनुपम राजन)
सचिव,
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
दूरभाष क्रमांक–0755–2555527

पृ.क्रमांक एफ–58–01 / 2009 / तीन / 1268 भोपाल, दिनांक 17/11/2009

प्रतिलिपि :–

प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

सचिव,
म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
दूरभाष क्रमांक 0755–2555527